न्यायालयः द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सारंगपुर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.
(पीठासीन अधिकारीः— हिमांशु शर्मा)

Registraion No.CRA/24/2017
Filing No. CRA /938/2017
CNR No. MP3909-001108-2017
Filling Date-18-05-2017

दरियावसिंह पिता देवीलाल रूहेला, वर्तमान उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम बोकडी हाल मुकाम मंडी रोड़ पचोर जिला राजगढ़ म.प्र.

——————**अपीलार्थी / अभियुक्त**

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र पचोर जिला राजगढ़ म.प्र.

———————**प्रत्यर्थी / अभियोजन**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगपुर, जिला राजगढ़ तत्कालीन श्री अश्विन परमार के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्र. 286/2010 मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध दरयावसिंह (पुलिस थाना पचोर जिला राजगढ़ के अपराध कमांक 569/2009, अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 से उद्भूत दांडिक अपील।

अपीलार्थी द्वारा : श्री ब्रजेश तिवारी अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी द्वारा : श्री आलोक उपाध्याय विशेष लोक अभियोजक।

——:::—— निर्णय ——:::——

(आज दिनांकः—30/08/2022 को पारित)

01:— अपीलार्थी की ओर से यह दाण्डिक अपील धारा 374 द.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगपुर, तत्कालीन श्री अश्विन परमार के

न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक–286/2010 में दिनांक 08.05.2017 को पारित निर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के आरोप में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 100/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 30 दिवस के सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया है।

02:– प्रकरण में अपीलार्थी को अभियुक्त तथा प्रत्यर्थी को अभियोजन कहा गया है।

03:– विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि उर्वरक निरीक्षक पदेन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सोनेराम शाक्य द्वारा तहसीलदार, पटवारी साक्षी गिरीश गौड के साथ दिनांक 24.12.2009 को जे.डी. मार्केट पचोर में स्थित दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण में 16:30 बजे दुकान क्रमांक 3 में मेसर्स रूहेला ट्रेडर्स पचोर (प्रोपराईटर दरियावसिंह पिता देवीलाल रूहेला निवासी बोकड़ी हाल मुकार पचोर) में उर्वरक यूरिया किसान छाप निर्माता एन.एफ.एल. विजयपुर का 510 बैग 50 किलो प्रति भर्ती बगैर अधिकार पत्र के अनाधिकृत रूप से भण्डारित कर अवैध रूप से विक्रय करने के संबंध में पाया जाने के संबंध में फरियादी सोनेराम शाक्य की सूचना पर संबंधित आरक्षी केन्द्र पचोर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 569/2009 अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04:– विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्टियां अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। विचारण पश्चात् दिनांक 08.05.2017 को आलोच्य निर्णय घोषित करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध कर दण्डादिष्ट किया गया है।

05:– अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि अभियोजन के प्रति सिद्धता के भार के तौर पर नियत बिन्दुओं के प्रति

अभियोजन की असफलता को नजरअंदाज किया गया और अधिनियम की धारा 14 मात्र पर ध्यान केन्द्रित कर दोषसिद्ध किया गया है। अधिसूचना प्रस्तुत नहीं। प्रश्नगत स्थान अभियुक्त के आधिपत्य का प्रमाण नहीं। प्रश्नगत उर्वरक अभियुक्त के आधिपत्य में होने, अवैध भण्डारण होने को प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण का अभाव है। घटना के संबंध में साक्षीगणों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में लाये गये महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत अनुज्ञप्ति के मूल दस्तावेज पर विचार नहीं किया गया है। मूल दस्तावेजों को न्यायालय द्वारा निर्णय के दौरान न पढ़ा जाकर निर्णय में टीप भी अंकित की गई है। निर्णय में विधि की त्रुटि है। निर्णय में संभावना जनित अर्थान्वयन कर संभावना, कल्पना के आधार पर अनुसंधान की गम्भीर त्रुटियों को ध्यान न देकर हितबद्ध साक्षियों के कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.05.2017 पारित करने में भूल किये जाने का आधार लेकर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अतः उपरोक्तानुसार विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील स्वीकार करने तथा आक्षेपित निर्णय व दंडाज्ञा को अपास्त करने की प्रार्थना की।

06:– उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि–

(i) क्या विद्वान दंडाधिकारी ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई तथ्य एवं विधि की भूल की है, जिसके कारण दोषसिद्धि का निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य होने से अपास्त किये जाने योग्य है ?

(ii) क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित की गई दंडाज्ञा अपास्त किये जाने योग्य है ?

//निष्कर्ष के आधार//

विचारणीय प्रश्न कमांक–01 एवं 02:–

07:– हस्तगत अपील के संबंध में सर्वप्रथम विचारण न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेखित विधि का अवलोकन करें तो **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3** में प्रावधान है कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाये रखने या बढ़ाने के लिये या उसका साम्यिक वितरण और उचित कीमतों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अथवा भारत की रक्षा के लिये या सैनिक संक्रियाओं के दक्ष संचालन के लिये किसी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिये ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है तो वह आदेश द्वारा उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या प्रतिषेध के उपबंध कर सकेगी।

08:– आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तद्धीन किये गये आदेश द्वारा निम्नलिखित का उपबंध किया जा सकेगा–(क) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण या अनुज्ञप्तियों, अनुपत्रों द्वारा या अन्यथा विनियमन उपधारा (घ) में प्रावधान है कि किसी आवश्यक वस्तु के भण्डारकरण, परिवहन वितरण, व्ययन, अर्जन, प्रयोग या खपत का अनुज्ञप्तियों, द्वारा या अन्यथा विनियमन का प्रावधान है। **The Fertiliser (Control) Order 1985 की धारा 3** के तहत जारी किया गया नियंत्रण आदेश है, जिसकी धारा 2A में एक्ट से अर्थ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रावधानित किया गया है। धारा 2 में विभिन्न प्रकार के फर्टीलाईजर की परिभाषा एवं धारा 2F में डीलर की परिभाषा दी गई है। उक्त नियंत्रण आदेश की धारा 7 उपधारा 2 में प्रावधान है कि हर व्यक्ति जिसमें निर्माता निर्यातकर्ता कोई कूल हैण्डलिंग एजेंसी थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता शामिल है, जो फर्टीलाईजर के विक्रय के व्यवसाय में लगा है, वह फार्म A–1 में अधिसूचित प्राधिकारी को सूचना का ज्ञापन प्रेषित करेगा।

09:– प्रकरण में अभियोजन साक्षी सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) के कथन में कलेक्टर को सूचना देने का उल्लेख आया है, जिसे साक्ष्य के दौरान प्रपी–5 के रूप में चिन्हित किया गया है एवं एक ऑर्डर को प्रपी–6 के रूप में चिन्हित किया गया है, परंतु विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ऐसे कोई दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न नहीं है, नहीं उसके संबंध में किसी प्रकार का प्रतिपरीक्षण किया गया है और नहीं इस संबंध में अपील में कोई आपत्ति उठाई गई है। इस

न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई के दौरान विचारण न्यायालय से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई थी, परंतु परिवादी विभाग के मूल दस्तावेजों में भी प्रपी–5 की कलेक्टर को दी गई सूचना प्रदर्शित नहीं है और नहीं प्रपी–6 के साक्षी के कथन अनुसार कोई आदेश संलग्न है। प्रपी–5 एवं 6 से संबंधित दस्तावेजों के अनुपलब्ध होने के आलोक में न तो अभियोजन को कोई लाभ और ना ही अभियुक्त के विरूद्ध दस्तावेजों की किसी प्रकार की उपधारणा आगामी विवेचना में की जा रही है। इस प्रकार प्रपी–5 एवं प्रपी–6 के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है।

10:– प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध मौके पर कार्यवाही सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) द्वारा की गई है। सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) ने पदेन वरिष्ठ कृषि अधिकारी सारंगपुर की हैसियत से शपथपूर्वक कथन किया कि दिनांक 24.12.2009 को जे.डी. मार्केट पचोर में दुकानों का निरीक्षण किये जाने पर उत्तर दिशा की दुकान क्रमांक 3 में मेसर्स रूहेला ट्रेडर्स पचोर प्रोपराईटर दरियावसिंह पिता देवीलाल रूहेला निवासी ग्राम बोकड़ी हाल मुकाम पचोर को उर्वरक किसान यूरिया छापित निर्माता एन.एफ.एल. विजयपुर की 510 बोरियां, जिसमें प्रत्येक में 50 किलो की भर्ती थी, को अनाधिकृत रूप से भण्डारित कर विक्रय करते हुए पाया गया था। अभियुक्त से अनुज्ञप्ति मांगी तो उसके पास किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति नहीं थी, जिससे उसका कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक आदेश का अपराध होना पाया गया। अभियुक्त के कब्जे से साक्षी गिरीश कुमार एवं एस.एन. श्रीवास्तव के समक्ष पंचनामा प्रपी–1 बनाया गया। साक्षी ने प्रपी–1 पर अपने हस्ताक्षर विशेषांकित किये। साक्षी ने कथन किया कि मौके पर की गई कार्यवाही के समय तहसीलदार भी थे। प्रपी–1 पर अभियुक्त के भी हस्ताक्षर कराये गये।

11:– उक्त साक्षी ने आगे कथन किया कि प्रावधान अनुसार अभियुक्त को प्रपी–2 का नोटिस दिया गया, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी ने अपने तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का कथन किया और जप्तशुदा माल अभियुक्त को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया गया, जिसका सुपुर्दगीनामा प्रपी–3 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी ने अपने तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का कथन किया। आगे साक्षी ने कथन किया कि एक शिकायत थाना प्रभारी पचोर को दी गई थी, जो प्रपी–4 है। आगे साक्षी ने कथन किया कि असल दस्तावेज सत्यापित

प्रतिलिपियां न्यायालय के प्रकरण में संलग्न हैं। उक्त दस्तावेजों को पंचनामा प्रपी–1सी, नोटिस प्रपी–2सी, सुपुर्दगीनामा प्रपी–3सी एवं थाना प्रभारी को लेखीय आवेदन प्रपी–4सी से चिन्हित किया गया है, जो प्रकरण में संलग्न हैं।

12:– शंकरस्वरूप श्रीवास्तव (अ.सा.–2) ने कथन किया कि दिनांक 24.12. 2009 को कृषि विस्तार अधिकारी पचोर के प्रभार के पद पर पदस्थ होकर श्री शाक्य एवं एस.के. शर्मा कृषि उपचार अधिकारी एवं पटवारी के साथ मेसर्स रूहेला ट्रेडर्स पचोर की नाम की दुकान पर संचालक दरियाव पिता देवीलाल की दुकान पर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से यूरिया के 510 बैग जिसमें 50 किलो यूरिया भरा हुआ था, भण्डारित करना पाया गया था। साक्षी ने मौके पर अपने समक्ष जप्ती की कार्यवाही निरीक्षक शाक्य द्वारा करने के साथ प्रपी–1 लगायत 3 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

13:– गिरीश गौड (अ.सा.–3) ने कथन किया कि घटना के समय वह हलका पटवारी पचोर था। तहसीलदार के साथ जे.डी. मार्केट पचोर में निरीक्षण हेतु गया था। साथ में शाक्य एस.डी.एम. भी थे। जे.डी. मार्केट में तहसीलदार एवं एस.डी.एम. ने 550 बोरी यूरिया पकड़ा था। साक्षी ने, किस नाम व नंबर की दुकान से यूरिया पकड़ा था, यह जानकारी होने से इंकार कर प्रपी–1 लगायत 3 के दस्तावेजों पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। उक्त साक्षी को पक्षद्रोही किये जाने पर कॉर्नर की उत्तर दिशा की दुकान नंबर 3 मेसर्स रूहेला ट्रेडर्स प्रोपराईटर दरियाव रूहेला से उर्वरक यूरिया किसान छाप निर्माता एन.एफ.एल. विजयपुर की 510 बोरी भर्ती 50 किलो बिना अधिकार पत्र अनाधिकृत रूप से भण्डारित कर अवैध रूप से विक्रय करना पाई गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने एस.एस. श्रीवास्तव, पवन कुमार मेवाड़ा के सामने श्री शाक्य ने अवैध रूप से रखी 510 बोरी उर्वरक (यूरिया) को जप्त किया था। जप्ती पंचनामे पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर पहचानना स्वीकार कर जप्त यूरिया अभियुक्त दरियाव की सुपुर्दगी में देने का कथन किया।

14:– आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लोकसवेक की लिखित रिपोर्ट पर से किये जाने का प्रावधान अधिनियम की धारा 11 में किया गया है। प्रकरण में कार्यवाही सोनेराम शाक्य अ.सा.–1 पदेन वरिष्ठ कृषि विकास

अधिकारी सारंगपुर द्वारा की गई है। वह कार्यवाही करने के लिये सक्षम न हो या लोकसेवक न हों, इस संबंध में उन्हें प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है। साक्षी से प्रतिपरीक्षण में घटनास्थल पर जाने के संबंध में पूछने पर साक्षी ने घटनास्थल पर अधीनस्थ कर्मचारी एस.एस. श्रीवास्तव एवं शासकीय कर्मचारी पटवारी गिरीश कुमार गौड एवं अन्य साक्षी पवन कुमार मेवाड़ा की उपस्थिति में जाने का कथन किया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि प्रपी–1 लगायत 3 का प्रोफार्मा तैयार अवस्था में होता है, जो साथ में लेकर जाते हैं। अपील में अभियुक्त अधिवक्ता श्री ब्रजेश तिवारी ने तर्क भी किया कि अभियोजन साक्षी प्रोफार्मा लेकर गये थे। प्रपी–1 लगायत 3 के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त प्रोफार्मा पहले से छपा हैं, परंतु प्रकरण के संबंध में अन्य विवरण हस्तलिखित है, जिससे सम्पूर्ण कार्यवाही के दस्तावेज पूर्व से छपे–छपाये होने का तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। आगे उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि प्रपी–1 लगायत 3 के प्रोफार्मा में लिखी गई हस्तलिपि उनके अधीनस्थ उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। इस संबंध में भी अपीलार्थी अधिवक्ता श्री तिवारी ने तर्क किया कि सोनेराम शाक्य द्वारा पंचनामे एवं जप्ती पत्रक तथा सुपुर्दगीनामा स्वयं नहीं भरा है। प्रपी–1 लगायत 3 के दस्तावेजों में विवरण वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में किसी सहायक द्वारा भरे जाने से सम्पूर्ण कार्यवाही को दूषित होना नहीं माना जा सकता है।

15:– हस्तगत प्रकरण की मुख्य विषयवस्तु अभियुक्त के पास अवैध रूप से भण्डारित 510 बोरी यूरिया जप्त होना है। इस संबंध में सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) के प्रतिपरीक्षण का सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो साक्षी को प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में यह सुझाव दिया गया कि किसानों को उर्वरक (यूरिया) बेचने की अधिकता निर्धारित नहीं थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि किसान एक ट्रक में माल लादकर ले जाते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में साक्षी को मौके पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही में अभियुक्त के आधिपत्य में अवैध रूप से भण्डारित यूरिया जप्त नहीं की गई हो, या अभियुक्त के पास अभियोजन के मामले अनुसार यूरिया का अवैध भण्डारण नहीं था या अभियुक्त के पास घटना के समय यूरिया रखने का वैध आधिपत्य था, ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

16:– एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) को भी प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में यह

सुझाव दिया गया कि कई किसान मिलकर अपनी उर्वरक (यूरिया) की बोरी एक साथ ट्रक में भरकर ला सकते हैं, जिस पर साक्षी ने ऐसी जानकारी होने से इंकार किया। साक्षी को इसी पैरा में यह भी सुझाव दिया गया कि किसानों ने अपना उर्वरक (यूरिया) सुगमता की दृष्टि से दुकान में रखा था। उक्त सुझाव से साक्षी ने इंकार किया, परंतु उक्त दोनों ही सुझाव से ज्यादा संख्या में बोरी की मात्रा एवं अभियुक्त के आधिपत्य में उर्वरक (यूरिया) बोरी रखे जाने का तथ्य अभिलेख पर आता है। आगे उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण के पैरा 13 में अपने समक्ष कोई उर्वरक (यूरिया) जप्त न होने का भी सुझाव दिया गया है, जिससे साक्षी ने इंकार किया है। इस प्रकार सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) एवं एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) को दिये गये प्रतिपरीक्षण के सुझावों से कि कृषक एक साथ ट्रक में ज्यादा मात्रा में उर्वरक (यूरिया) लाते हैं और सुगमता की दृष्टि से दुकान में उर्वरक (यूरिया) रखी थी। अभियुक्त की ओर से साक्षीगण को दिये गये उक्त सुझावों से अभियुक्त के आधिपत्य में 510 बोरी उर्वरक (यूरिया) नहीं रखी थी, इसका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं आता है। यदि अभियुक्त यह बचाव लेना चाहता था कि अन्य किसानों की उर्वरक (यूरिया) की बोरियां उस स्थान पर सुगमता के लिये रखीं थीं, तो वह स्थान किसी और का होने एवं किसानों के उनकी उर्वरक (यूरिया) होने के संबंध में कथन अपने बचाव के संबंध में करा सकता था, परंतु अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

17:– अपील में यह आधार लेकर तर्क किया गया कि घटनास्थल वाली दुकान 10 वाय 10 की छोटी दुकान है, जिसमें उक्त जप्तशुदा 510 बोरी उर्वरक (यूरिया) की बोरी आई ही नहीं सकती हैं। इस संबंध में सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) को प्रतिपरीक्षण में कोई सुझाव नहीं दिया गया है। एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) को प्रतिपरीक्षण में दुकान की स्थिति के संबंध में प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल वाली अभियुक्त की दुकान 10 वाय 10 की है। साक्षी ने मौके की स्थिति के संबंध में दिये गये सुझाव को स्वीकार कर कथन किया कि दुकान में अभियुक्त के बैठने की टेबल व ग्राहकों के बैठने की सुविधा थी। दुकान में केवल उर्वरक (यूरिया) की रखे हुए थे। कृषि यंत्र बीज आदि नहीं थे। साक्षी ने यह कथन किया कि उर्वरक (यूरिया) के अलावा और कोई उर्वरक (यूरिया) नहीं थी। प्रतिपरीक्षण

के पैरा 7 के अंत में साक्षी ने कथन किया कि ''यह सही है कि जिस जगह से हमने उर्वरक (यूरिया) जप्त की थी, वह दुकान थी, गोदाम नहीं था।'' साक्षी को दिये उक्त सुझाव से भी अभियुक्त के आधिपत्य में अवैध रूप से उर्वरक (यूरिया) रखे जाने का खण्डन अभिलेख पर नहीं आता है।

18:– एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) को प्रतिपरीक्षण के पैरा 13 में यह सुझाव दिया गया कि जिस दुकान में उर्वरक (यूरिया) जप्त होना बताया गया है, उस दुकान में 510 बोरी उर्वरक (यूरिया) रखने की क्षमता नहीं थी। उक्त सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है। दुकान की उंचाई एवं क्षमता के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई विवरण नहीं दिया गया है। इस प्रकार घटनास्थल वाली दुकान की क्षमता का भी कोई विवरण खण्डन में नहीं दिया गया है।

19:– अभियुक्त के आधिपत्य से अवैध रूप से भण्डारित उर्वरक (यूरिया) पाये जाने के संबंध में सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) ने प्रपी–1 का पंचनामा बनाने और उस पर ए से ए भाग पर अपने तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का कथन किया है, जिसका समर्थन एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) ने किया है। सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) ने प्रपी–1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। प्रपी–1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर न हो एवं मौके पर अवैध रूप से उर्वरक (यूरिया) भण्डारण किये जाने का पंचनामा असत्य रूप से बनाया गया हो, ऐसा कोई सुझाव सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) एवं एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) को नहीं दिया गया है, जिससे अभियुक्त के आधिपत्य में अवैध रूप से 510 बोरी उर्वरक (यूरिया) भण्डारण किये जाने का तथ्य प्रमाणित हुआ है।

20:– सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) ने मौके पर अवैध रूप से भण्डारित 510 बोरी उर्वरक (यूरिया) के संबंध में अभियुक्त को प्रपी–2 का नोटिस देने का कथन किया है। उक्त नोटिस के भी ए से ए भाग पर सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) ने ए से ए भाग पर अपने तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर एवं एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) ने सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। उक्त नोटिस उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के खण्ड 28(1)(बी) के अंतर्गत जप्ती का नोटिस होकर जे.डी. मार्केट पचोर गोदाम में व्यापारी रूहेला ट्रेडर्स दरियावसिंह रूहेला पंजीयन क्रमांक 50/5 वैधता दिनांक 31.03.2011 के संबंध में होना दर्शित है।

प्रपी–2 पर परिवादी एवं साक्षी तथा अभियुक्त के हस्ताक्षर को साक्षीगणों के प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है। अभियुक्त को प्रपी–2 का जप्ती का नोटिस मौके पर अवैध रूप से भण्डारित उर्वरक (यूरिया) के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया हो, ऐसा भी कोई सुझाव साक्षीगणों को नहीं दिया गया है।

21:– अपीलार्थी की ओर से घटनास्थल वाली दुकान अभियुक्त की होने या अभियुक्त के आधिपत्य की होने के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने तथा अभियुक्त का प्रकरण में सम्बद्धता दर्शाने वाले कोई प्रमाण प्रस्तुत न करने का भी तर्क किया गया है। इस संबंध में प्रपी–2 के जप्ती पंचनामे में जप्ती के नोटिस में रूहेला ट्रेडर्स एवं पंजीयन दिनांक के संबंध में दिये गये विवरण के संबंध में सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) को प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 के अंत में इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रपी–2 के मध्य भाग में रूहेला ट्रेडर्स का जो पंजीयन क्रमांक 50/एस/सारंगपुर रूहेला ट्रेडर्स के लाइसेंस में देखकर भरा गया था। उक्त सुझाव से अभियुक्त स्वयं मौके पर उपस्थित होने एवं यूरिया के संबंध में लाइसेंस के विवरण से अपनी सम्बद्धता को स्पष्ट कर रहा है, जिसका विवरण प्रपी–2 में भी अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भरा गया है। साक्षीगणों को अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत यूरिया लाइसेंस होते हुए वैध रूप से रखा गया हो या लाइसेंस के उल्लंघन में अधिक मात्रा में या अन्य किसी परिस्थिति में विधि के प्रावधानों के तहत रखा गया हो, ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है। अभियुक्त की ओर से अभियोजन साक्षीगणों को प्रतिपरीक्षण में स्वयं के पास विधिवत् लाइसेंस होने एवं विधिवत् उर्वरक (यूरिया) के भण्डारण का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौके पर प्राप्त 510 बोरी यूरिया के अवैध भण्डारण संबंधी पंचनामे के उपरांत अभियुक्त से प्रश्नगत 510 बोरी यूरिया जप्त किये जाने को अभियुक्त की ओर से साक्षीगणों के प्रतिपरीक्षण में एवं अपनी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर खण्डित नहीं किया गया है, जिससे मौके पर की गई कार्यवाही के संबंध में प्रपी–2 का नोटिस एवं अवैध रूप से भण्डारित उर्वरक (यूरिया) की जप्ती की कार्यवाही विधिवत् प्रमाणित है।

22:– सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) ने अभियुक्त को दिये गये नोटिस के उपरांत जप्तशुदा माल अभियुक्त को अंतरिम सुपुर्दगी में देने का कथन कर प्रपी–3 का अंतरिम सुपुर्दगीनामा बनाने एवं उस पर ए से ए भाग पर अपने तथा बी से बी भाग

पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) ने प्रपी–3 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। प्रपी–3 के अवलोकन से प्रकट है कि प्रोफार्मा 2(A) जप्ती के बाद जिसके सुपुर्दगी में उर्वरक दिया गया है, उसके घोषणा पत्र वाले प्रपत्र में दरयाव पिता देवीलाल ने दिनांक 24.12.2009 को किसान ब्राण्ड एन.एफ.एल. विजयपुर निर्मित 510 बोरी जप्ती में प्राप्त होना दर्शित है। उक्त दस्तावेज के निर्माण एवं कार्यवाही तथा 510 बोरी उर्वरक सुपुर्दगी में प्राप्त होने को अभियुक्त की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिससे प्रश्नगत 510 बोरी विधिवत् अभियुक्त को अंतरिम सुपुर्दगी में दिया जाना प्रमाणित है।

23:– अभियुक्त के आधिपत्य में अवैध भण्डारण के संबंध में घटना की पुलिस को रिपोर्ट किये जाने के संबंध में सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) ने कथन किया कि घटनास्थल जे.डी. मार्केट पर दिन के 12 बजे पहुंचने के उपरांत सम्पूर्ण कार्यवाही कर जे.डी. मार्केट से 6 बजे बाहर होने के उपरांत 7 बजे थाना पहुंचकर 2–2:30 बजे तक कार्यवाही करने का कथन कर प्रपी–4 का कागज टाईप करवाकर थाने पर देने का कथन किया। उक्त साक्षी के मौके पर पहुंचने एवं थाने पर की गई कार्यवाही के समय एवं थाने से कार्यवाही कर आने के समय के संबंध में श्री तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि मौके पर पहुंचने तथा वापस आने एवं थाने पर जाने एवं रिपोर्ट लिखाने के संबंध में साक्षी के कथन एवं एस.एस. श्रीवास्तव के कथनों में विरोधाभास है। एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) के प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से प्रकट है कि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में अभियुक्त की दुकान पर शाम 6 बजे पहुंचने का कथन कर पूरी कार्यवाही में दो घण्टे लगने का कथन किया। प्रपी–4 थाना प्रभारी को अभियुक्त के आधिपत्य में अवैध रूप से भण्डारित 510 बोरी यूरिया के संबंध में उर्वरा नियंत्रण आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने की सूचना है। सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 11 के तहत लोकसेवक होते हुए विधिवत् थाना प्रभारी को सूचना दी गई है। सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) एवं एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) के घटनास्थल पर पहुंचने एवं कार्यवाही में लगे समय के संबंध में मामूली विसंगति होना अवश्य अभिलेख पर आई है, परंतु वह इस स्वरूप की नहीं है जो अभियोजन के सम्पूर्ण मामले को संदेहास्पद होना बनाये।

24:– अभियोजन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में गिरीश गौड (अ.सा.–3) के कथनों में सम्पूर्ण कार्यवाही तहसीलदार द्वारा किये जाने एवं मौके पर पहुंचने पर अभियुक्त की दुकान बंद होने तथा दुकान के रोशनदान में से देखकर कार्यवाही करने के कथन के आलोक में अपीलार्थी अधिवक्ता श्री तिवारी ने सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित होने एवं अभियोजन के मामले में गम्भीर संदेह उत्पन्न होने का तर्क किया है। इस संबंध में सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) से कोई प्रश्न नहीं किया गया कि घटना के समय अभियुक्त की दुकान का शटर बंद था या खुला था। एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब मौके पर कार्यवाही के लिये पहुंचे थे तब अभियुक्त की दुकान का शटर बंद था और उसे बुलवाया गया था। अभियुक्त की दुकान का शटर बंद होना और उसे कार्यवाही के लिये बुलवाकर कार्यवाही करने में कोई अवैधानिकता नहीं है। अभियुक्त स्वयं दुकान से सम्बद्ध होने के संबंध में प्रपी–2 के पत्रक के निर्माण में विवरण प्रस्तुत कर रहा है। उसकी मौके पर अनुपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं है। गिरीश गौड़ (अ.सा.–3) के कथनों पर विश्वास न भी किया जाये तब भी सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) एवं एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण के संबंध में मौके पर जाने, अभियुक्त की दुकान बंद होने, उसे बुलाकर दुकान खुलवाकर कार्यवाही करने के संबंध में साक्षीगणों के कथनों में आये मामूली विसंगति इस स्तर की नहीं है जो अभियुक्त के आधिपत्य में उर्वरक (यूरिया) के अवैध भण्डारण एवं भण्डारित उर्वरक (यूरिया) को जप्त किये जाने के उपरांत अभियुक्त को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रक्रिया को खण्डित करती है।

25:– अपीलार्थी अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का उचित मूल्यांकन न कर केवल धारा 14 में प्रावधानित उपधारणा के आधार पर ही अभियुक्त को प्रकरण में दोषसिद्ध किया गया है। **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 14** में प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिये अभियोजित किया जाता है, उसे विधिपूर्ण प्राधिकारी के बिना अथवा किसी अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा

प्राधिकार, अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज हैं, उसी पर होगा। उपरोक्त विवेचना में अभियुक्त के आधिपत्य में 510 बोरी उर्वरक (यूरिया) अवैध रूप से भण्डारित किया, पाये जाने के उपरांत अभियुक्त को विधिवत् जप्ती का सूचना पत्र देकर जप्तशुदा 510 बोरी उर्वरक (यूरिया) उसके आधिपत्य में प्रदान की गई है। अभियुक्त के पास उर्वरक (यूरिया) रखने का विधिवत् प्राधिकार, लाइसेंस, अधिकार का अनुज्ञा पत्र था, यह प्रमाणित करने का भार अभियुक्त के उपर ही था। इस संबंध में सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) एवं एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) को प्रतिपरीक्षण में कोई सुझाव नहीं दिये गये हैं, जिससे बचाव पक्ष की अभियुक्त के पास उर्वरक (यूरिया) भण्डारण एवं बेचने संबंधी वैध अनुज्ञप्ति होने तथा उन्हें बिना प्रमाण के अभिलेख पर होते हुए पढ़े जाने संबंधी अपील में उठाये गये आधार एवं तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं।

26:– अपीलार्थी की ओर से प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी की जानबूझकर अनुपस्थिति का आधार लेकर कार्यवाही दूषित होने का तर्क किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रकरण में किसी तथ्य को साबित करने के लिये साक्षियों की संख्या नहीं वरन् साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में किसी स्वतंत्र साक्षी के कथन न कराये जाने से भी अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

27:– प्रकरण के संबंध में अभियोजन की ओर से नरेन्द्रसिंह परमार (अ.सा.–4) के कथन कराये गये हैं, जिन्होंने दिनांक 25.12.2009 को थाना पचोर पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होते हुए अपराध कमांक 569/09 में अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने का कथन किया। साक्षी ने घटना के अनुसंधानकर्ता अशोक कटियार के हस्ताक्षर पहचानने का कथन कर अशोक कटियार द्वारा सोनेराम शाक्य, संतस्वरूप श्रीवास्तव एवं गिरीश गौड़ के कथन प्रपी–7 लगायत 9 लेने का कथन कर ए से ए भाग पर अशोक कटियार के हस्ताक्षर होने का कथन किया। साक्षी ने एफ. आई.आर. प्रपी–11 पर भी एस.आई. कटियार के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने एवं साक्षीगणों के कथन अशोक कटियार द्वारा लेने का समय याद होने से इंकार किया। उक्त साक्षी के कथन में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है, जो पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट

एवं साक्षीगणों के कथन लेने की पुलिस की कार्यवाही को दूषित करता हो। हस्तगत प्रकरण में मौके पर पंचनामा कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा बनाया जाकर जप्ती एवं अंतरिम सुपुर्दगी भी मौके पर की गई है। पुलिस द्वारा प्रपी–4 के सूचना के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर साक्षीगणों के कथन लेने के उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्यवाही में अनुसंधान अधिकारी के कोई कथन न होने से अभियोजन की कार्यवाही की कोई प्रक्रिया दूषित हुई हो या विचारण पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा हो, ऐसी कोई स्थिति बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाया गया आधार एवं तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

28:– अपीलार्थी की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से अभियुक्त के लाइसेंस को अभियोजन द्वारा ही प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करने का तर्क कर अंतिम तर्क के स्तर पर वैध अनुज्ञप्ति मूल प्रस्तुत करने के उपरांत भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार में न लेने का तर्क किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि अभियोजन की ओर से अंतिम प्रतिवेदन के साथ कॉलम नंबर 11(1) में संलग्न प्रपत्रों की सूची में अभियुक्त के लाइसेंस इत्यादि किसी दस्तावेज का उल्लेख नही है। दिनांक 28.02.2017 को अभियुक्त परीक्षण में 41 प्रश्नों के उत्तर में अभियुक्त की ओर से अपने पास लाइसेंस होने एवं अभियोजन द्वारा उसके लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों को चालन के साथ प्रस्तुत करने एवं दस्तावेज अभिलेख पर होने का कोई खुलासा नहीं किया है। प्रश्न क्रमांक 40 के उत्तर में अभियुक्त ने कोई बचाव साक्ष्य भी नहीं देने का कथन किया है। तदोपरान्त दिनांक 26.04.2017 को अंतिम तर्क के दौरान बचाव पक्ष की ओर से सूची अनुसार 1 लगायत 5 के दस्तावेज विचारण न्यायालय में अभिलेख पर लिये हैं। उक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित प्रमाणित करने के संबंध में अभियुक्त की ओर से विधि की प्रक्रिया अनुसार कोई कार्यवाही किया जाना अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत सूची अनुसार 1 लगायत 5 के दस्तावेज किस प्रकार के उर्वरक (यूरिया) के भण्डारण या विक्रय की अनुमति से संबंधित हैं, अनुज्ञप्ति कब से कब तक प्रभावी है, इसका कोई खुलासा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 में अभियुक्त पर अधिरोपित सबूत के भार में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई

है। अपील में भी इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसे में अभियुक्त के पास जप्तशुदा उर्वरक (यूरिया) भण्डारित करने की मात्रा की विधिवत् अनुज्ञप्ति होने के संबंध में उठाई गई आपत्ति एवं तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं।

29:– आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 10(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के अभियोजन में जिसमें अभियुक्त की आपराधिक मन :स्थिति होना आपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मनःस्थिति विद्यमान होने की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिये यह साबित करना प्रतिवाद होगा कि उस अभियोजन के आधार के रूप में आरोपित कार्य की बावत्, उसकी ऐसी मनःस्थिति नहीं थी। स्पष्टीकरण इस धारा में–''आपराधिक मनःस्थिति के अंतर्गत आशय, मंतव्य किसी तथ्य की जानकारी और किसी तथ्य पर विश्वास करने का कारण है'' उपधारा 2 में प्रावधान है कि इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई तथ्य तभी साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय को विश्वास है कि उसका विद्यमान होना युक्तियुक्त संदेह से परे है, न कि उसका विद्यमान होना केवल अत्यधिक संभावनाओं से सिद्ध होता है। उक्त प्रावधान के आलोक में भी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य में अभियुक्त के आधिपत्य में उर्वरक (यूरिया) का अवैध भण्डारण होने तथा जप्तशुदा उर्वरक (यूरिया) को अभियुक्त को सुपुर्दगी में देने का कोई खण्डन अभियुक्त की ओर से साक्षीगणों के प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है और न ही अपनी ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत अभियुक्त की ओर से उर्वरक (यूरिया) जप्ती वाले स्थान की एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) से प्रतिपरीक्षण में गोदाम न होकर दुकान की पुष्टि कराई गई है एवं सोनेराम शाक्य (अ.सा.–1) एवं एस.एस. श्रीवास्तव (अ.सा.–2) को प्रकरण में जप्तशुदा अधिक मात्रा की उर्वरक (यूरिया) कई किसानों द्वारा ट्रक में लाये जाने एवं सुगमता के लिये दुकान में रखे जाने के स्वीकरोक्तिपूर्ण सुझाव दिये गये हैं, जिससे एक ओर न तो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मनःस्थति का कोई प्रतिवाद हुआ है और न ही प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य में उर्वरक (यूरिया) का भण्डारण वैध रूप से किये जाने का कोई प्रमाण अभिलेख पर आया है।

30:– उपरोक्त विवेचना में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी उर्वरक नियंत्रण आदेश

1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2(क) एवं (घ) के तहत विनियमित उर्वरक के भण्डारण की अनुज्ञप्ति के अभाव में अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से 510 बोरी उर्वरक (यूरिया) अपने आधिपत्य में भण्डारण करके अवैध रूप से रखी गई थीं। अभियुक्त द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 में प्रावधानित अपराध किया है। अभियुक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10(घ) में प्रावधानित आपराधिक मनःस्थिति के अभाव का प्रतिवाद करने में भी असफल रहा है। अभियुक्त अभियोजन द्वारा धारा 3 के अधीन उर्वरा नियंत्रक आदेश के अभियुक्त द्वारा बिना प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति पत्र के 510 बोरी उर्वरक (यूरिया) को अपने कब्जे में रखने के संबंध में अभियोजन के प्रमाण भार के उन्मोचन के उपरांत अपनी ओर से अभियोजन की साक्ष्य को खण्डित करने एवं धारा 14 के तहत अधिरोपित सबूत के भार को उन्मोचित करने में असफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषी पाकर धारा 7 के तहत दण्डित करने में कोई भूल नहीं की है।

31:— जहां तक अभियुक्त को दण्डादिष्ट किये जाने का प्रश्न है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में दोषी पाकर तीन मास के सश्रम कारावास एवं 100/—रूपये के दण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अभियुक्त द्वारा अदा कर दिया गया है। जहां तक कारावास की सजा का प्रश्न है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 में धारा 3 के किसी आदेश के उल्लंघन में जो उपधारा 2 के खण्ड ज या खण्ड झ के उल्लंघन में एक वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। धारा 7 उपधारा 1 की उपधारा (II) में किसी अन्य आदेश की दशा में कारावास जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होने और जुर्माने का भी दायी होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम में न्यूनतम सजा तीन माह की दी गई है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाये जाने के उपरांत न्यूनतम कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के आलोक में दण्डादेश के बिन्दु पर भी हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार न होने से विद्वान विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश की **पुष्टि** की जाती है। परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील **खारिज** की जाती है।

32:– अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान कारावास में बिताई गई अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जाये। अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के दण्डादेश के अनुसार सजा वारंट के साथ कारावास का दण्ड भुगताये जाने हेतु उपजेल सारंगपुर भेजा जावे।

33:– प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

34:– निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस लौटाया जाये एवं एक प्रति अपीलार्थी/अभियुक्त को प्रदान की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

(हिमांशु शर्मा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
सारंगपुर जिला राजगढ़ (म.प्र.)

(हिमांशु शर्मा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
सारंगपुर जिला राजगढ़ (म.प्र.)

HIMANSHU SHARMA

Digitally signed by HIMANSHU SHARMA
Date: 2022.08.30 14:58:03 +0530